

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

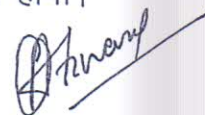
अधिसूचना

राँची, दिनांक-27/11/2025 ई०।

संख्या-07/हो०गा० (स्था०)-06/2025-7194/ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (राजपत्रित) सेवा अंतर्गत मूल कोटि के वेतनमान (रु० 9,300-34,800/- ग्रेड पे-5400, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मेट्रिक्स लेबल-9) में इन्ट्री वेतन पर एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में औबधिक रूप से नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण हेतु झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
I	II	III	IV	V
01	23235543	Md Afroz Alam	11.02.1996	Vill- Ledatand, PO- madaidih, P.S- Topchanchi, Block- Topchanchi, District- Dhanbad, Pin- 828402.

- (2) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से 02 वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- (3) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।
- (4) नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-29.11.2025 के पूर्वाह्न में झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5797, दिनांक-3.10.2025 के क्रम में यदि कोई नवनियुक्त अभ्यर्थी, अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन माह के अन्दर झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में योगदान नहीं करेंगे तो, वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (6) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5524, दिनांक-18.09.2025 एवं पत्रांक-6800, दिनांक-21.11.2025 के क्रम में झारखण्ड असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 द्वारा चयनित पदाधिकारी को दिनांक-16.12.2025 से 06 (छः) सप्ताह का संयुक्त आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के तत्वधान में दिया जायेगा।
- (7) समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।
- (8) वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ हैं, की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियाँ का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
- (9) योगदान देते समय कार्मिक विभाग की संकल्प सं०-1919, दिनांक 28.01.1976 द्वारा दहेज न लेन/देने संबंधी घोषणा-पत्र एवं अधिसूचना सं०-5437, दिनांक 09.09.2010 एवं अधिसूचना सं०-9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (10) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।



- (11) योगदान देते समय अभ्यर्थी का असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (12) नियुक्ति विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक-5817 दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ओम प्रकाश तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-07/हो०गा० (स्था०)-06/2025-...../राँची, दिनांक- / /2025 ई०।

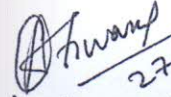
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप-सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-07/हो०गा० (स्था०)-06/2025-7194/राँची, दिनांक-27/11/2025 ई०।

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक-सह- महासमादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची/संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग/संबंधित अभ्यर्थी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव।